

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या
12/138/2023

रजिस्टर्ड नंबर
2023/514

प्रवेश तिथि
09.11.2023

निर्णय दिनांक
30.10.2024

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्रीमती उमा सतीजा पत्नी श्री सुरेन्द्र सतीजा, अग्रवाल धर्मशाला, नियर बस स्टैण्ड, अलवर (राजस्थान)

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) भरे हुए कंपनी एचपीसीएल को राजसात करने बाबत ।

उपस्थित:-

1. श्री विनोद जुनेजा (प्रवर्तन अधिकारी, अलवर)

—विभागीय प्रतिनिधि

—:: निर्णय ::—

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) भरे हुए कंपनी एचपीसीएल को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6-ए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया ।

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 10.11.2023 को श्रीमान जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार में विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह प्रवर्तन अधिकारी, श्री कृष्ण कुमार बीयला, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग की जाच हेतु फर्म मै० श्री महावीर ढाबा, बस स्टैण्ड, अलवर पर पहुंचे। मौके पर श्रीमती उमा सतीजा पत्नी श्री सुरेन्द्र सतीजा, अग्रवाल धर्मशाला, नियर बस स्टैण्ड, अलवर उपस्थित मिले। फर्म मै० श्री महावीर बाबा, बस स्टैण्ड, अलवर की दुकान पर अवैध रूप से भण्डारण किये गये 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) भरे हुए कंपनी एचपीसीएल का मिला जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	सिलेण्डर का एस.आर. क्रमांक	सील/अनसीललड सरकारी तेल कम्पनी का नाम	सिलेण्डर पर एल.पी.जी.का उपदर्शित/मान क भार/क्षमता (किग्रा में)	खाली सिलेण्डर उपदर्शित भार/टेयर वेट(किग्रा में)	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपी. जी(किग्रा में)	शुद्ध गैस का भार (किग्रा में) (6-5)
01.	02	03	04	05	06	07
1	461335T	एचपीसीएल	14.2	15.8	28.0	12.2
2	119827P	एचपीसीएल	14.2	15.6	26.6	11.0

श्रीमती उमा सतीजा पत्नी श्री सुरेन्द्र सतीजा, अग्रवाल धर्मशाला, नियर बस स्टैण्ड, अलवर द्वारा घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि मै० श्री महावीर ढाबा, बस स्टैण्ड, अलवर के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)


(प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) भरे हुए कंपनी एचपीसीएल को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मोके पर उक्त कब्जेराज 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) भरे हुए कंपनी एचपीसीएल को मै० मॉडर्न गैस एजेंसी, मालवीय नगर, अलवर के प्रतिनिधि श्री प्रेमप्रकाश पुत्र श्री हरिकिशन मीना के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) भरे हुए कंपनी एचपीसीएल को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी को जरिये रजि० नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद रजि० तलबी/तामील के अनुपस्थित। अप्रार्थी की एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर के अनुसार मौके पर फर्म मै० श्री महावीर बाबा, बस स्टेण्ड, अलवर की दुकान पर अवैध रूप से भण्डारण किये गये कंपनी एचपीसीएल के 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) भरे हुए मिले। उक्त के संबंध में श्रीमती उमा सतीजा पत्नी श्री सुरेन्द्र सतीजा, अग्रवाल धर्मशाला, नियर बस स्टेण्ड, अलवर द्वारा घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि मै० श्री महावीर ढाबा, बस स्टेण्ड, अलवर के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6-ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) भरे हुए कंपनी एचपीसीएल को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) भरे हुए कंपनी एचपीसीएल सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)